एकता विकास संघर्ष

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन

विकास सदन, 132के0वी0 सबस्टेशन माजरा, देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकरण संख्या–277

अखिल भारतीय पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ एवं रा0वि0प0 जूनियर इंजीनियर्स संगठन उ0प्र0 से सम्बद्ध

दिनाँक–15 / 04 / 2023

माँग–पत्र

1 अवर अभियन्ता को वर्तमान में प्रदत्त 4600/– ग्रेड वेतन का लाभ उत्तराखण्ड शासन के शासकीय विभागों की अनुरूपता में 01.01.2009 से दिया जाये।

2 अवर अभियन्ता को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति/प्रथम ए0सी0पी0 पर प्रारम्भिक वेतनमान में दो वेतनवृद्धि पूर्व की भांति प्रदान की जाये।

3 उत्तराखण्ड शासन के शासकीय विभागों की अनुरूपता में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति कोटा 50 + 8.33 (बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 डिग्री धारी अवर अभियन्ता) = 58.33 प्रतिशत किया जाये।

4 अवर अभियन्ताओं को 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेड वेतन 4800/– दिया जाये।

5 उत्तराखण्ड शासन के शासकीय विभागों की अनुरूपता में दिनांक 30.09.2005 तक तैनात अवर अभियन्ताओं को जी0पी0एफ0 एवं पेंशन की सुविधा प्रदान की जाये।

6 अधिशासी अभियन्ता के समस्त रिक्त पदों पर अविलम्ब प्रोन्नति की जाये।

7 अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के समस्त रिक्त पदों पर प्रोन्नति की जाये।

8 वर्तमान तक तैनात अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं की अद्यतन वरिष्ठता सूची अविलम्ब जारी की जाये।

9 अवर अभियन्ता संवर्ग के सदस्यों की लम्बित विभागीय जाँचों (डी0पी0) का निस्तारण किया जाये तथा तदानुसार ए0सी0पी0 के आदेश निर्गत किये जायें।

10 दिनाँकः 06/01/2022 को निर्गत ए0 सी0 पी0 के आदेश के साथ सातवें वेतन आयोग में पुनः विकल्प की सुविधा प्रदान की जाय।

11 अनुग्रह क्षतिपूर्ति की राशि न्यूनतम 15 लाख रूपये की जाये।

12 यूजेवीएन लि0 की भांति उपाकालि एवं पिटकुल में भी कार्मिकों का 30 लाख रूप्ये का दुर्घटना बीमा कराया जाये।

13 अवर अभियन्ता को प्रारम्भिक वेतनमान में देय दो वेतनवृद्धि पूर्व की भांति प्रदान की जाये।

14 अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता संवर्ग में प्रोन्नति की पात्रता अवधि 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष की जाय।

15 नवनियुक्त अवर अभियन्ताओं को वर्तमान में अवर अभियन्ता संवर्ग को देय समस्त लाभ प्रदान किये जाये।

16 उ0पा0का0लि0 में नवनियुक्त अवर अभियन्ताओं को नियमितीकरण करते हुए कार्यप्रभार प्रदान किया जाये।

17 संवर्ग के सेवानिवृत सदस्यों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु मुख्यालय स्तर पर तीनों निगम में अलग सेल का गठन किया जाये।

18 स्थानान्तरण एवं तैनाती की पारदर्शी नीति लागू की जाये।

19 तकनीकी श्रेणी प्रथम के पद को नान फंक्शनल माना जाय तथा तकनीकी श्रेणी–2 से अवर अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन पर पूर्व की भॉति अधिशासी अभियन्ता के पद का वेतनमान दिया जाय।

20 संवर्ग के समस्त कार्यरत एवं सेवानिवृत्त सदस्यों एवं उनके आश्रितों को उत्तराखण्ड मे स्थित समस्त बडे चिकित्सालयों में हृदयघात, कैंसर, लकवा, दुर्घटना में हड्‌डी टूटना एवं मस्तिष्क आघात आदि जैसी गम्भीर बीमारी हेतु वाह्म रोगी के रूप में तीन लाख रूपये की सीमा तक कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाये।

21 जो बीमारी आजीवन रहती है, उसे चिकित्सा परिषद से प्रतिवर्ष अनुमोदन कराने की बाध्यता को समाप्त किया जाये।

22 डिग्रीधारी अभियन्ताओं को निगमों के व्यय पर एम0बी0ए0 कराने की भांति अवर अभियन्ताओं को भी उच्च शिक्षा बी0ई0 / बी0टेक / बी0सी0ए0 / ग्रेजुएशन / पोस्ट ग्रेजुएशन आदि कराने हेतु विभागीय अनुमति एवं विभागीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाये।

23 विभागीय आवासीय कॉलोनी में जर्जर अथवा अपनी आयु पूर्ण कर चुके आवासों के स्थान पर नये भवनों के निर्माण की कार्यवाही अतिशीघ्र की जाय।

24 (अ) तीनों निगमों में निर्माणाधीन परियोजनाओं पर तैनात कार्मिकों को 'परियोजना विकास भत्ता' एवं 'भूगर्भ भत्ता' अनुमन्य किया जाये।

(ब) RLTE एवं स्थल प्रतिकर भत्ते को पुनरीक्षित किया जाय।

(स) भौगोलिक स्थिति, चिकित्सा सुविधा, उच्च शिक्षा मुख्यालय से दूरी आदि को ध्यान में रखते हुए यूजेवीएन लि0 में चीला, कालागढ एवं लोहियाहेड, खटीमा का दुर्गम स्थल प्रतिकर भत्ता 5 प्रतिशत से बढाकर 7.5 प्रतिशत किया जाये।

(पवन रावत)
केन्द्रीय महासचिव